

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / अकादमी / शोध / 2024 / 5503

दिनांक : 27/09/24

पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा-2024

// अधिसूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आयोजित पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के सभी अर्हताधारी विद्यार्थियों (जिनके-सामान्यवर्ग के लिये न्यूनतम 50 अंक, म.प्र. के निवासी आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 अंक निर्धारित है, तथा जे.आर.एफ.यूजीसी / सी.एस.आई.आर योग्यता धारक) को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार (RAC) के लिये निर्धारित दिनांक तथा समय पर विद्यार्थी स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे। साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय पर अनुपस्थित होने पर उन्हें पीएच.डी. पाठक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के पास निम्नलिखित प्रपत्र (मूलप्रति तथा एक फोटोकॉपी) होना आवश्यक है:-


1. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के लिये भरा गया आवेदन पत्र।
2. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र।
3. स्कोर कार्ड (मार्कशीट) की प्रति / जे.आर.एफ. (स्कोर कार्ड सहित-यूजीसी / सी.एस.आई.आर.) प्रमाण पत्र।
4. आधार कार्ड।
5. कक्षा 10 की अंकसूची।
6. स्नातक अंतिम वर्ष की अंकसूची।
7. स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंकसूची।
8. (आरक्षित वर्ग के लिये म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाणपत्र)-अनिवार्य
9. जाति प्रमाण पत्र / निशक्तता का प्रमाण पत्र / आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
10. शोध प्रस्ताव / शोध योजना।

11. मार्गदर्शक का सहमती पत्र साथ लाये (वैकल्पिक), परन्तु यह प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता है।
12. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अलावा अन्य किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये आवश्यक है कि वे पीएच.डी. उपाधि के लिये अर्हता प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व आवश्यक रूप से जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त कर, समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें।
13. शासकीय/अशासकीय सेवारत अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

- नोट:— (अ) मार्गदर्शक के सहमति पत्र की उपलब्धता, प्रवेश सुनिश्चित नहीं करती।
- (ब) ऐसे विद्यार्थी जिनका स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ वे साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिये पात्र नहीं है।
- (स) सम्पूर्ण काउंसिलिंग की प्रक्रिया अध्यादेश-11(म.प्र. शासन, उच्चशिक्षा/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली) के प्रावधानों के अनुक्रम में सम्पन्न की जायेगी।
- (द) विषयवार साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दी जावेगी।


सहा.-कुलसचिव (अका.)